

पत्रावली पेश एवं
 अधिकारिता/उपपत्रावली/उपपत्रावली/उपपत्रावली
 अनुपत्रावली
 अधिकारिता/उपपत्रावली/उपपत्रावली/उपपत्रावली
 अधिकारिता/उपपत्रावली/उपपत्रावली/उपपत्रावली
 अधिकारिता/उपपत्रावली/उपपत्रावली/उपपत्रावली
 अधिकारिता/उपपत्रावली/उपपत्रावली/उपपत्रावली
 अधिकारिता/उपपत्रावली/उपपत्रावली/उपपत्रावली

न
 ला
 दी

13.4.18

आज पत्र उप-1 बाकी पत्र भी और 6 फट्टरिया
 लोक दफ्तारनं प्रेश (सिने गन) वदत पुनी गड
 पत्रावली बाकी फोटो कितने 23.4.18 का पत्रावली

नी
 म
 सं
 सरं
 सं

23.4.18

पत्रावली प्रेश उड, बाकी का बाद - पत्रावली
 राजीनामा डिक्ली किया जाता है, बिल्टन किरान
 फिलर व सिने गन पुनी गड का को शाकिर
 कितने उड पत्रावली डिक्ली जारी हो पत्रावली
 फिलर शुका देकर कारिबल 5222 भी जारी
 फोटो पुनी गड का

सु
 म
 ए
 प

Web Copy - Not Official

(aw)

सहायक कलक्टर
 एवं उपपत्रावली अधिकारी
 अनुमानगढ़

सं
 रा
 ह
 ट

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़
ईजलास :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

संदीप कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
---वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सीमादेवी पुत्री मनीराम पत्नि ताराचंद जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया।
3. सरोज पुत्री मनीराम पत्नि दुलाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया।
4. सुनीता पुत्री मनीराम पत्नि महावीर जाति जाट निवासी झाम्बर तहसील हनुमानगढ़।
5. ममता पुत्री मनीराम पत्नि नारायणराम जाति जाट निवासी झाम्बर तहसील हनुमानगढ़।
6. एसबीआई बैंक हनुमानगढ़ टाउन।

---प्रतिवादीगण

वाद संख्या :- 40 सन् 2018
दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

उपस्थित :-

1. श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता वादी
2. श्री अमरीकसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 5

निर्णय

दिनांक :- 23.4.18

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 16 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 130/93 में 6.159 है० मय गैरमुमकिन भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि वादी के दादा स्व. पतराम की भूमि थी जो उनके फौत होने पर विरासतन प्रतिवादी सं. 1 पर औद हुई। उक्त वर्णित भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 का जन्म से ही अधिकार है। चूंकि अब उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 ने उक्त पैतृक भूमि का घरबंदवारा (पारिवारिक समझौता) कर लिया है तथा उक्त घरबंदवारा होने के उपरांत प्रतिवादी सं. 2 ता 5 ने घरबंदवारा में प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में हक त्याग कर दिया है इसके बाद वादी व प्रतिवादी सं. 1 उक्त भूमि में बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा उसी अनुसार अपने हक हिस्सा पर काबिज रहकर घरबंदवारा के रोज से काश्त कर रहे हैं। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे कि चक 16 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 130/93 में 6.159 है० भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

64

वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 व वादी की ओर से दिनांक 16.03.2018 को स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 6 के रिलिफ हक को सुरक्षित रखते हुए तलबी बंद की गई।

वादी की ओर से अपने वाद-पत्र के सम्मर्जन में तहरीरी साक्ष्य के तौर पर जमाबंदी चक 16 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 130/93 सम्वत् 2071-74, जमावदी चक 16 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 68 सम्वत् 2025 व चारिसनामा की निरूपति पेश किये गये।


वाद-पत्र का कोई विरोध नहीं होने से तनकीमात कायम नहीं की गई। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की बहस सुनी गई जिन्होंने दौराने बहस संयुक्त कथन किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य से वादग्रस्त आराजी जददी जायदाद साबित होने से वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिरसा प्रश्नगत आराजी में है। प्रतिवादी सं. 2 ता 5 ने अपना हक परित्याग घरूबंटवारा अनुसार वादी के पक्ष में किया है। पक्षकारों ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश कर दिया है। मुताबिक राजीनामा वाद-पत्र डिक्री करने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी चक 16 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 68 सम्वत् 2025 से वादग्रस्त आराजी जददी जायदाद होना साबित होता है तथा जमाबंदी चक 16 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 130/93 सम्वत् 2071-74 अनुसार उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 को प्राप्त हुई है। जददी जायदाद होने से इनका प्रश्नगत आराजी में Birth Right है। वादी व प्रतिवादी ने राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा वाद-पत्र डिक्री करने की सहमति दी है। वादी घरू विभाजन में मुताबिक राजीनामा वादग्रस्त आराजी प्राप्त कर रहा है जिसका कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आने से वादी का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त आराजी चक 16 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 130/93 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 6.159 है० भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 बहिरसा बराबर के खातेदार काश्तकार है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। प्रतिवादिया सं. 2 ता 5 द्वारा हक त्याग का पंजीयन शुल्क स्टाम्प राशि नियमानुसार वादी से वसूल किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल-दरामद किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज आज दिनांक 22.4.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़
बईजलास :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

संदीप कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

---वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सीमादेवी पुत्री मनीराम पत्नि ताराचंद जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया।
3. सरोज पुत्री मनीराम पत्नि दुलाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया।
4. सुनीता पुत्री मनीराम पत्नि महावीर जाति जाट निवासी झाम्बर तहसील हनुमानगढ़।
5. ममता पुत्री मनीराम पत्नि नारायणराम जाति जाट निवासी झाम्बर तहसील हनुमानगढ़।
6. एसबीआई बैंक हनुमानगढ़ टाउन।


---प्रतिवादीगण

वाद संख्या 40 सन् 2018 निर्णय दिनांक 23.4.18
दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

डिक्री

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आरएएस समक्ष अभिभाषक वादी श्री इन्द्राज गोदारा तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 श्री अमरीकसिंह की उपस्थिति में निर्णय प्रस्तुत होने पर वादी का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त आराजी चक 16 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 130/93 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 6.159 है० भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। प्रतिवादिया सं. 2 ता 5 द्वारा हक त्याग का पंजीयन शुल्क स्टाम्प राशि नियमानुसार वादी से वसूल किया जावे। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल-दरामद किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आज दिनांक 23.4.18 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़